माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्या:– (0755) 2551650, 2761567 फैक्स – (0755) 2551499, 2552061

संशोधित आदेश

क्रमांक/587/परीक्षा समन्वय/2012 भोपाल दिनांक: 27/08/2012

//आदेश//

मण्डल द्वारा संचालित वर्ष 2012 की डिप्लोमा इन एज्यूकेशन परीक्षा नियमित/पत्राचार परीक्षा प्रथम/द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों की परीक्षा हेतु पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 581 दिनांक 14.8.2012 द्वारा परीक्षा कार्यक्रम को निरस्त करते हुए निम्नानुसार नवीन संशोधित परीक्षा कार्यक्रम/निर्देश जारी किये जाते हैः–

प्रथम वर्ष परीक्षा

समय प्रातः 8.30 से 11.30		TIME : Afternoon 8.30 am to11.30 a.m		
प्रथम प्रश्न पत्र	द्वितीय प्रश्न पत्र	तृतीय प्रश्न पत्र	चर्तुथ प्रश्न पत्र	पंचम प्रश्न पत्र
सोमवार 08/10/2012	बुधवार 10/10/2012	शुक्रवार 12/10/2012	सोमवार 15/10/2012	बुधवार 17/10/2012
भारतीय समाज में शिक्षा	बाल विकास (पोषण,स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, योग एवं नैतिक विकास)	विद्यालय प्रबंध एवं नियोजन	हिन्दी भाषा एवं उसका शिक्षण	गणित एवं उसका शिक्षण

द्वितीय वर्ष परीक्षा

समय प्रातः 8.30 से 11.30		TIME : Afternoon 8.30 am to11.30 a.m		
छठवां प्रश्न पत्र	सातवां प्रश्न पत्र	आठवां प्रश्न पत्र	नौवां प्रश्न पत्र	दसवां प्रश्न पत्र
मंगलवार 09/10/2012	गुरूवार 11/10/2012	शनिवार 13/10/2012	मंगलवार 16/10/2012	गुरूवार 18/10/2012
शिक्षा मनोविज्ञान	शैक्षिक प्रौद्योगिक एवं अनुसंधान	अंग्रेजी भाषा एवं उसका शिक्षण	सामाजिक विज्ञान एवं उसका शिक्षण	विज्ञान तथा पर्यावरणीय शिक्षा एवं उसका शिक्षण

डी एड प्रथम/द्वितीय वर्ष नियमित/पत्राचार द्वितीय वर्ष 2012 के छात्रों के आवेदन पत्र केवल ऑन लाईन ही **दिनांक 10.09.2012 तक भरे जा सकेगें।** डी एड प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष 2012 की मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यार्थियों को नवीन पाठ्यक्रमानुसार वार्षिक परीक्षा हेतु कुल तीन अवसर प्रदान किये जावेगे। प्रवेश वर्ष की मुख्य परीक्षा, मुख्य परीक्षा की पूरक परीक्षा तथा अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा के साथ मुख्य परीक्षा में कुल या समस्त विषयों में अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित रहते है। तो ऐसे प्रशिक्षार्थी पूरक परीक्षा के साथ निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा में प्रविष्ठ हो सकते है।

ऑन लाईन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :–

(1) शासकीय एवं अशासकीय डी एड संस्थान **M.P. online** की वेबसाईट **www.mponline.gov.in** से आवेदन पत्र डाउन लोड करेगे। एम.पी. ऑन लाईन के कियोस्क पर जाकर संस्थान के प्राचार्य समस्त आवेदनों की प्रविष्टि करायेगें। प्रविष्टी उपरांत प्रत्येक आवेदन का प्रिन्ट आउट सादे कागज पर कियोस्क से प्राप्त करेगें। संस्था प्राचार्य ऑन लाईन आवेदनों की प्रविष्टि उपरांत प्राप्त प्रिन्ट में समस्त प्रविष्टियां एवं आवेदक के छायाचित्र की जांच कर लें। यदि नाम, पिता के नाम में स्पेलिंग की त्रुटियां अथवा परीक्षा के विषय, फोटो आदि में कोई त्रुटि हो तो पुनः कियोस्क पर आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पूर्व संशोधन करायें। तत्पश्चात किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं किया जावेगा एवं त्रुटियों का संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्राचार्य का होगा। **संस्था प्राचार्य ऑन लाईन आवेदन करते समय ध्यान रखेगें कि छात्र का नाम, पिता का नाम उसी प्रकार अंकित होना चाहिये जिस प्रकार परीक्षार्थी की कक्षा 12वीं की उत्तीर्ण की अंकसूची में अंकित है, तथा जिन छात्रों के नाम प्रवेश सूची में भी अंकित है वे छात्र ही परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र होगें।**

(2) ऑनलाईन फार्म की प्रविष्टि निकटस्थ एम पी ऑन लाईन के अधिकृत किसी भी कियोस्क पर जाकर निर्धारित शुल्क एवं पोर्टल चार्जेस का नगद भुगतान करते हुए की जा सकती है अथवा एम पी ऑन लाईन की वेबसाइट **www.mponline.gov.in** के माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिग से शुल्क का भुगतान करके भी आवेदन किया जा सकता है।

(3) पाठ्यक्रमानुसार छात्र तृतीय अवसर हेतु आवेदन कर सकेगें। प्रथम अवसर का छात्र यदि तृतीय अवसर की परीक्षा में सम्मिलित होता है तो ऐसा छात्र प्रथम वर्ष के साथ द्वितीय वर्ष परीक्षा का आवेदन भी भरकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगे।

(4) द्वितीय वर्ष के छात्रों के आवेदन भी ऑन लाईन करने हेतु छात्र वर्ष 2011 की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र ही द्वितीय वर्ष की परीक्षा में बैठने के पात्र होगे। इस हेतु अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष का रोल नम्बर कियोस्क पर प्रविष्टि कराने पर छात्र का सम्पूर्ण विवरण प्राप्त हो जायेगा। इसके पश्चात प्रशिक्षाणार्थी विषयों का चयन एवं निर्धारित शुल्क जमा करने पर छात्र का आवेदन ग्राहय हो सकेगा।

(5) समस्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टी उपरांत संस्था प्राचार्य कियोस्क से शुल्क एवं आवेदनों की पावती प्राप्त करें एवं आवेदन के साथ पात्रता संबंधी अभिलेख संलग्न करते हुए **समस्त आवेदन पत्र दिनांक 14.09.2012 तक मण्डल मुख्यालय भोपाल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

(6) डी एड प्रथम वर्ष के नियमित परीक्षार्थियो के ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व संस्था प्राचार्य समस्त छात्रों के नामांकन/ग्राहयता संबंधी विधिवत कार्यवाही संबंधित संभागीय कार्यालय में अवश्य करा ले। संभागीय अधिकारी का दायित्व होगा कि नामांकन/ग्राहयता की प्रकिया के प्रकरणों की जांच उपरांत ग्राहयता प्रदान करने की कार्यवाही समय सीमा तक सुनिश्चित करेगें। यह स्पष्ट किया जाता है कि नामांकन/ग्राहयता प्राप्त हो जाने मात्र से किसी प्रशिक्षणार्थी को परीक्षा में शामिल होने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(7) जिन प्रशिक्षणार्थियों के नाम राज्य शिक्षा केन्द्र/माध्यमिक शिक्षा मण्डल को भेजी गई सत्यापित प्रवेश सूची में अंकित है, उन्ही के आवेदन ऑन लाईन भरे जा सकेंगे। प्रवेश सूची से भिन्न आवेदन भरे जाते है तो वे मान्य नहीं किये जायेगें तथा परीक्षा देने की पात्रता भी नहीं होगी। छात्र का विवरण उसकी फोटो सहित प्रवेश सूची से मिलान किया जायेगा। ***संस्था प्राचार्य यह भी सुनिश्चित करें कि प्रथम वर्ष परीक्षा में वे ही छात्र/छात्राएं परीक्षा में बैठ सकेगें, जिन्होने नियमित रूप से पाठ्यक्रम अध्ययन किया हो।***

(8) आवेदन पत्र की प्रविष्टि करते समय **विषयों का चयन नवीन पाठ्यकमानुसार** ही किया जाये।

(9) **केवल** ऐसे प्रशिक्षणार्थी ही परीक्षा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगें, जिनके द्वारा इंटर्नशिप पाठ्यकम में निर्धारित कार्य दिवसों में पूर्ण किया हो। ऑन लाईन आवेदन में भी इंटर्नशिप किस संस्था में किया है, का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसकी पूर्ति का संपूर्ण दायित्व संस्था प्राचार्य का होगा।

(10) **संस्था प्रमुख सुनिश्चित करेंगें कि नियमित प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है, 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी। फार्म में छात्र की उपस्थिति का प्रतिशत भी अंकित किया जाएगा। इस विषय में मण्डल विनियम में उल्लेखित कण्डिका 203, 208, 209 एवं 210 के अनुसार नियमित छात्रों की उपस्थिति विषयक प्रावधान लागू होंगें।**

(11) संबद्वता प्राप्त अशासकीय डी एड संस्थान के नियमित परीक्षार्थी आवेदन पत्र एम पी ऑन लाईन के कियोस्क के माध्यम से संस्था प्राचार्य द्वारा स्वयं प्रविष्ट कराये जायें किसी भी स्थिति में छात्र को कियोस्क पर नहीं भेजा जाए।

(12) डी.एड. पत्राचार प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पूर्व में ही शासकीय डाईट संस्थान से भरकर प्राप्त हुये है। अतः डी एड. पत्राचार प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों को ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है। पत्राचार प्रथम वर्ष में वही छात्र पात्र होंगें, जिन्होने छात्र सम्पर्क कार्यकम में नियमानुसार भाग लिया हो।

नियमित/पत्राचार पाठ्यक्रम प्रथम/द्वितीय वर्ष में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की शुल्क का विवरण

नियमित प्रथम/द्वितीय वर्ष (मुख्य परीक्षा)		
क्र	विवरण	राशि
1	परीक्षा शुल्क	500/-
2	ग्राहयता शुल्क (राज्य के बाहर के परीक्षार्थियों के लिए)	200/-

पत्राचार द्वितीय वर्ष (मुख्य परीक्षा)		
क्र	विवरण	राशि
1	शिक्षण शुल्क(प्रायोगिक शुल्क सहित)	781/-
2	परीक्षा शुल्क	500/-
3	अग्रेषण शुल्क	15/-

एम पी ऑन लाईन के सेवा केन्द्र संचालक को शुल्क 20/- रूपये देय होगा।

(13) ऑन लाईन फार्म की प्रविष्टि निकटस्थ एम पी ऑन लाईन के अधिकृत किसी भी निजी कियोस्क पर जाकर **निर्धारित** शुल्क एवं पोर्टल चार्जेस का नगद भुगतान करते हुए **की जा सकती है अथवा** एम पी ऑन लाईन की वेबसाइट **www.mponline.gov.in** के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से शुल्क का भुगतान करके भी आवेदन किया जा सकता है।

(संतोष मिश्र)
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक/588 /परीक्षा समन्वय/2012 भोपाल दिनांकः 27 /08/2012

प्रतिलिपि–

1 प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी–विंग अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. आंचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लिखा जाता है कि बिन्दु क्रमांक 6 की पूर्ति सुनिश्चित कर नामांकन एवं ग्राहयता की सूची मण्डल मुख्यालय में प्रेषित करेगे।
6. समस्त, प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय डी एड संस्थान मध्यप्रदेश।
7. सीएसआ/पंजीयक–डाटा परीक्षा/जनसम्पर्क अधिकारी/विधि अधिकारी/सहायक सचिव/क.अ.–गोपनीय परीक्षा एवं डी एड सेल/लोक सूचना कक्ष मा. शि मंडल म.प्र.।
8. संचालक, एम पी ऑन लाईन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9 विशेष सहायक माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
10. निज सचिव– अध्यक्ष/सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उपसचिव/संयुक्त संचालक वित्त/वित्ताधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश,
भोपाल

D:\BSK\samanhav\DED\Ded-1112\latter 1112.doc